

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए विधान सभा मार्ग,
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आर.आई./को०चे०स०कर्मि० मानदेय/14-15/23 दिनांक: 24दिसम्बर,2014
विषय:-नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोल्डचेन सुदृढीकरण हेतु मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्यरत
संविदा कर्मियों के मानदेय के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्ष 2014-15 में भारत सरकार की आर०ओ०पी० के रएफ०एम०आर० कोड संख्या A.8.1.7.7 के अन्तर्गत
नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोल्डचेन सुदृढीकरण हेतु मानव संसाधन की संविदा पद पर कार्य कर रहे
कर्मियों के 12 माह का मानदेय (अप्रैल 2014 से मार्च 2015) हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसका विवरण
निम्नवत् है-

1. कोल्डचेन हैण्डलर्स (मण्डल स्तर पर)-	14
2. कोल्डचेन हैण्डलर्स (जनपद स्तर पर)-	75
3. टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर मैकेनिक (मण्डल स्तर पर)-	09
4. टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर मैकेनिक (जनपद स्तर पर)-	12
5. वैक्सीन स्टोर कीपर (मण्डल स्तर पर)-	09
6. वैक्सीन वैन चालक (मण्डल स्तर पर)-	08

- कोल्डचेन हैण्डलर्स (मण्डल स्तर पर)-14 मण्डल पर एक-एक कुल 14 कोल्डचेन हैण्डलर्स हेतु
₹10890/- प्रति माह की दर से कुल 12 माह हेतु मानदेय ₹ 1829520.00 की धनराशि स्वीकृत की गई है।
- कोल्डचेन हैण्डलर्स (जनपद स्तर पर)-कोल्डचेन हैण्डलर्स जनपद स्तर पर कुल 75 कोल्डचेन हैण्डलर्स
हेतु प्रति ₹ 10890/- की दर से 12 माह हेतु कुल ₹ 9801000.00 की धनराशि स्वीकृत की गई है।
- टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर मैकेनिक (मण्डल स्तर पर)-कुल 9 मण्डलों पर एक-एक टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर
मैकेनिक हेतु ₹ 18150/- प्रति माह की दर से 12 माह हेतु कुल ₹ 1960200.00 धनराशि स्वीकृत की
गई है।
- टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर मैकेनिक (जनपद स्तर पर)-टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर मैकेनिक जनपद स्तर पर कुल
12 टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर हेतु ₹ 18150/- प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु कुल ₹ 2613600.00 की
धनराशि स्वीकृत की गई है।
- वैक्सीन स्टोर कीपर (मण्डल स्तर पर)-9 मण्डल पर एक-एक कुल 09 वैक्सीन स्टोर कीपर हेतु
₹ 24200/- प्रतिमाह की दर से कुल 12 माह हेतु ₹ 2613600.00 की धनराशि स्वीकृत की गई है।
- वैक्सीन वैन चालक (मण्डल स्तर पर)-वैक्सीन वैन चालक मण्डल स्तर पर कुल 08 प्रति चालक
₹ 18150/- की दर से 12 माह हेतु कुल ₹ 1742400/-की धनराशि स्वीकृत की गई है।

मण्डल एवं जनपद स्तर पर तैनात उक्त संविदा कर्मियों की 12 माह (अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक) का
मानदेय एफ०एम०आर० मद संख्या A.8.1.7.7 में दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को समस्त जनपदों के जिला स्वास्थ्य
समितियों के खाते में अवमुक्त किया जा चुका है।

कृपया इसे संज्ञान में लेते हुये अपने-अपने जनपद के जिला प्रतिरक्षण अधिकारियों को अवगत करायें तथा
मण्डल स्तर/जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मियों को मानदेय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उपयोग
किये गये धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संयुक्त निदेशक (आर०आई०), प०क०, राज्य कोल्ड चेन अधिकारी,
प०क० महानिदेशालय एवं एन०एच०एम० कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेंट" में दी गयी व्यवस्था
तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया
जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल
गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेंट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य
प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम
प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि
आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।

2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, चैक इश्यू, रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियों समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्क्रेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-जनपदवार बजट शीट

भवदीय

(डा0 वेद प्रकाश)
महाप्रबन्धक, आर0आई0
तददिनांक

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आर.आई./को0चे0सं0कर्मी0 मानदेय/14-15/23
प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0।
8. महाप्रबन्धक एच0एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कोल्डचेन वित्तीय दिशा-निर्देश एन0एच0एम0 को वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
9. राज्य कोल्डचेन अधिकारी, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. अपर निदेशक, यू.आई.पी./संयुक्त निदेशक (आर0आई), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
11. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 का सूचनार्थ प्रेषित।
12. समस्त जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 वेद प्रकाश)
महाप्रबन्धक, आर0आई0

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
विशाल काम्प्लेक्स, 19-ए विधान सभा मार्ग,
उ०प्र० लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आर.आई./को०चे०सं०कर्म० मानदेय/14-15/23 दिनांक: 24दिसम्बर,2014
विषय:-नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोल्डचेन सुदृढीकरण हेतु मण्डल एवं जनपद स्तर पर कार्यरत
संविदा कर्मियों के मानदेय के सम्बन्ध में।

महोदय,

वर्ष 2014-15 में भारत सरकार की आर०ओ०पी० के एफ०एम०आर० कोड संख्या A.8.1.7.7 के अन्तर्गत
नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोल्डचेन सुदृढीकरण हेतु मानव संसाधन की संविदा पद पर कार्य कर रहे
कर्मियों के 12 माह का मानदेय (अप्रैल 2014 से मार्च 2015) हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। जिसका विवरण
निम्नवत् है-

1. कोल्डचेन हैण्डलर्स (मण्डल स्तर पर)-	14
2. कोल्डचेन हैण्डलर्स (जनपद स्तर पर)-	75
3. टेक्नीशियन 'रेफ्रिजरेटर मैकेनिक' (मण्डल स्तर पर)-	09
4. टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर मैकेनिक (जनपद स्तर पर)-	12
5. वैक्सीन स्टोर कीपर (मण्डल स्तर पर)-	09
6. वैक्सीन वैन चालक (मण्डल स्तर पर)-	08

- कोल्डचेन हैण्डलर्स (मण्डल स्तर पर)-14 मण्डल पर एक-एक कुल 14 कोल्डचेन हैण्डलर्स हेतु
₹10890/- प्रति माह की दर से कुल 12 माह हेतु मानदेय ₹ 1829520.00 की धनराशि स्वीकृत की गई है।
- कोल्डचेन हैण्डलर्स (जनपद स्तर पर)-कोल्डचेन हैण्डलर्स जनपद स्तर पर कुल 75 कोल्डचेन हैण्डलर्स
हेतु प्रति ₹ 10890/- की दर से 12 माह हेतु कुल ₹ 9801000.00 की धनराशि स्वीकृत की गई है।
- टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर मैकेनिक (मण्डल स्तर पर)-कुल 9 मण्डलों पर एक-एक टेक्नीशियन 'रेफ्रिजरेटर
मैकेनिक' हेतु ₹ 18150/- प्रति माह की दर से 12 माह हेतु कुल ₹ 1960200.00 धनराशि स्वीकृत की
गई है।
- टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर मैकेनिक (जनपद स्तर पर)-टेक्नीशियन 'रेफ्रिजरेटर मैकेनिक' जनपद स्तर पर कुल
12 टेक्नीशियन रेफ्रिजरेटर हेतु ₹ 18150/- प्रतिमाह की दर से 12 माह हेतु कुल ₹ 2613600.00 की
धनराशि स्वीकृत की गई है।
- वैक्सीन स्टोर कीपर (मण्डल स्तर पर)-9 मण्डल पर एक-एक कुल 09 वैक्सीन स्टोर कीपर हेतु
₹ 24200/- प्रतिमाह की दर से कुल 12 माह हेतु ₹ 2613600.00 की धनराशि स्वीकृत की गई है।
- वैक्सीन वैन चालक (मण्डल स्तर पर)-वैक्सीन वैन चालक मण्डल स्तर पर कुल 08 प्रति चालक
₹ 18150/- की दर से 12 माह हेतु कुल ₹ 1742400/-की धनराशि स्वीकृत की गई है।

मण्डल एवं जनपद स्तर पर तैनात उक्त संविदा कर्मियों की 12 माह (अप्रैल 2014 से मार्च 2015 तक) का
मानदेय एफ०एम०आर० मद संख्या A.8.1.7.7 में दिनांक 16 दिसम्बर, 2014 को समस्त जनपदों के जिला स्वास्थ्य
समितियों के खाते में अवमुक्त किया जा चुका है।

कृपया इसे संज्ञान में लेते हुये अपने-अपने जनपद के जिला प्रतिरक्षण अधिकारियों को अवगत कराये तथा
मण्डल स्तर/जनपद स्तर पर कार्यरत संविदा कर्मियों को मानदेय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही उपयोग
किये गये धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संयुक्त निदेशक (आर०आई०), प०क०, राज्य कोल्ड चैन अधिकारी,
प०क० महानिदेशालय एवं एन०एच०एम० कार्यालय को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें।

उक्त धनराशियों का व्यय "आपरेशनल गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट" में दी गयी व्यवस्था
तथा अन्य प्रभावी संगत नियमों एवं निर्देशों का पालन करते हुये सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त करके ही किया
जाय। निम्न निर्देशों का अनिवार्यतः पालन सुनिश्चित करें।

1. धनराशि का आवंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु ऑपरेशनल
गाइडलाइन्स फॉर फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दी गयी व्यवस्था, वित्तीय नियमों, शासनादेशों, अन्य
प्रभावी नियमों/निर्देशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम
प्राधिकारों की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जाय। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि
आवंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।

2. स्वीकृत मद का पुर्नविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुगति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
3. जिला स्वास्थ्य समित एवं समस्त इकाइयों के वित्तीय अभिलेख कैशबुक, बैंक बुक, लेजर, बैंक इश्यू रजिस्टर, स्थायी सम्पत्तियों का रजिस्टर आदि लेखापुस्तकों में सभी प्रविष्टियाँ समय से पूर्ण कराये साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
4. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित कराये जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहे।
5. आपके स्तर से समस्त इकाइयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
6. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहे।
7. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियों, बिल बाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्फरेन्ट आडिटर, स्टेटच्युरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट (अद्यावधिक संशोधित) में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
9. भारत के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-जनपदवार बजट शीट

भवदीय,

(डा0 वेद प्रकाश)
महाप्रबन्धक, आर0आई0
तद्दिनांक

4256-75-13

पत्रांक-एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./आर.आई./को0चे0सं0कर्म0 मानदेय/14-15/23
प्रतिलिपि-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. महानिदेशक, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0।
8. महाप्रबन्धक एच0एम0आई0एस0, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0 को इस आशय से प्रेषित कि उक्त कोल्डचेन वित्तीय दिशा-निर्देश एन0एच0एम0 की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
9. राज्य कोल्डचेन अधिकारी, परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10. अपर निदेशक, यू.आई.पी./संयुक्त निदेशक (आर0आई), परिवार कल्याण महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
11. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उ0प्र0 का सूचनार्थ प्रेषित।
12. समस्त जिला प्रतिरक्षण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त मण्डलीय/जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।

(डा0 वेद प्रकाश)
महाप्रबन्धक, आर0आई0

FMR CODE-A.8.1.7.7 Proposed budget for contractual manpower under RI and cold chain RCH flexipool (2014-15)														
S.No	Contractual Manpower for RI & cold chain for district level					Contractual Manpower for RI & cold chain for Regional & divisional level						Total amount allocated (in Rs) for year 2014-15		
	District	Head				Head								
		Refrigrator mechanic		Cold chain handlers		Vccine store keeper		Refrigrator mechanic		Vaccine van driver			Cold chain handlers	
		Target	Budget @Rs 18150/- per month	Target	Budget @Rs 10890/- per month	Target	Budget @Rs 24200/- per month	Target	Budget @Rs 18150/- per month	Target	Budget @Rs 18150/- per month		Target	Budget @Rs 10890/- per month
31	Ghazipur	1	217800	1	130680		0		0		0		0	348480
32	Gonda			1	130680	1	290400	1	217800		0		0	638880
33	Gorakhpur			1	130680		0		0	1	217800	1	130680	479160
34	Hamirpur	1	217800	1	130680		0		0		0		0	348480
35	Hardoi			1	130680		0		0		0		0	130680
49	Hathras	1	217800	1	130680		0		0		0		0	348480
36	J P Nagar			1	130680		0		0		0		0	130680
37	Jalaun			1	130680		0		0		0		0	130680
38	Jaunpur			1	130680		0		0		0		0	130680
39	Jhansi	1	217800	1	130680		0		0		0	1	130680	479160
40	Kannauj			1	130680		0		0		0		0	130680
41	Kanpur Dehat			1	130680		0		0		0		0	130680
42	Kanpur Nagar			1	130680		0	1	217800	1	217800	1	130680	696960
43	Kasganj	1	217800	1	130680		0		0		0		0	348480
44	Kaushambi	1	217800	1	130680		0		0		0		0	348480
45	Kushinagar			1	130680		0		0		0		0	130680
46	Kheri			1	130680		0		0		0		0	130680
47	Lalitpur			1	130680		0		0		0		0	130680
48	Lucknow			1	130680	1	290400		0	1	217800	1	130680	769560
50	Maharajganj	1	217800	1	130680		0		0		0		0	348480
51	Mahoba			1	130680		0		0		0		0	130680
52	Mainpuri			1	130680		0		0		0		0	130680
53	Mathura			1	130680		0		0		0		0	130680
54	Mau			1	130680		0		0		0		0	130680
55	Meerut			1	130680		0		0	1	217800		0	348480
56	Mirzapur			1	130680	1	290400	1	217800		0	1	130680	769560
57	Moreadabad			1	130680	1	290400	1	217800		0	1	130680	769560
58	Sambhal			1	130680		0		0		0		0	130680
59	Prabudha ngr			1	130680		0		0		0		0	130680
60	Muzaffarnagar			1	130680		0		0		0		0	130680

FMR CODE-A.8.1.7.7 Proposed budget for contractual manpower under RI and cold chain RCH flexipool (2014-15)														
Contractual Manpower for RI & cold chain for district level						Contractual Manpower for RI & cold chain for Regional & divisional level						Total amount allocated (in Rs) for year 2014-15		
S.No	District	Head				Head								
		Refrigrator mechanic		Cold chain handlers		Vccine store keeper		Refrigrator mechanic		Vaccine van driver			Cold chain handlers	
		Target	Budget @Rs 18150/- per month	Target	Budget @Rs 10890/- per month	Target	Budget @Rs 24200/- per month	Target	Budget @Rs 18150/- per month	Target	Budget @Rs 18150/- per month		Target	Budget @Rs 10890/- per month
61	Pilibhit	1	217800	1	130680		0		0		0		0	348480
62	Pratapgarh			1	130680		0		0		0		0	130680
63	Raebareilly			1	130680		0		0		0		0	130680
64	Rampur			1	130680		0		0		0		0	130680
65	Santkabar Nagar			1	130680		0		0		0		0	130680
66	Saharanpur			1	130680	1	290400	1	217800		0	1	130680	769560
67	Sant Ravidas Ngr	1	217800	1	130680		0		0		0		0	348480
68	Shahjahanpur			1	130680		0		0		0		0	130680
69	Siddharthnagar			1	130680		0		0		0		0	130680
70	Sitapur			1	130680		0		0		0		0	130680
71	Sonebhadra			1	130680		0		0		0		0	130680
72	Shrawasti	1	217800	1	130680		0		0		0		0	348480
73	Sultanpur			1	130680		0		0		0		0	130680
74	Unnao			1	130680		0		0		0		0	130680
75	Varanasi			1	130680		0		0	1	217800	1	130680	479160
	Total	12	2613600	75	9801000	9	2613600	9	1960200	8	1742400	14	1829520	20560320